

Nominee Details (नामांकित व्यक्ति का विवरण)

Personal Details (व्यक्तिगत विवरण)

Full Name
पूरा नाम

Mother's Name
माता का नाम

Father Name
पिता का नाम

DOB
जन्म तिथि

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

PAN Card
पैन कार्ड

Adhar Card
आधार कार्ड

Voter Card
वोटर कार्ड

Phone Number
फोन नंबर

Email Address
ईमेल एड्रेस

Please affix recent
Passport Size Photo.
कृपया हाल ही की पासपोर्ट
आकार की फोटो लगाएं।

Please Sign across
the Photograph.
कृपया फोटो पर हस्ताक्षर
करें।

Bank Details (बैंक का विवरण)

Account Holder Name
खाताधारक का नाम

Bank Name
बैंक का नाम

Branch Name
शाखा का नाम

Account Number
खाता संख्या

IFSC Code
आईएफएससी कोड

Address Details (पते का विवरण)

State
राज्य

City
शहर

Pin Code
पिन कोड

Address
पता

Agent Details (एजेंट का विवरण)

Personal Details (व्यक्तिगत विवरण)

Agent Code

एजेंट कोड

Full Name

पूरा नाम

Phone Number

फोन नंबर

City

शहर

Terms and Conditions (नियम और शर्तें)

Registration fee is based on the age of the insured person at the time of enrollment.

पंजीकरण शुल्क बीमित व्यक्ति की आयु के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

- 45 to 55 years: ₹7,200/-
- 55 to 65 years: ₹8,500/-
- 65 to 75 years: ₹10,500/-
- Above 75 years: ₹12,500/-
- 45 से 55 वर्ष: ₹7,200/-
- 55 से 65 वर्ष: ₹8,500/-
- 65 से 75 वर्ष: ₹10,500/-
- 75 वर्ष से अधिक: ₹12,500/-

Every member must deposit ₹200 per month for the first year from the date of registration.

पंजीकरण की तिथि से प्रथम एक वर्ष तक प्रत्येक सदस्य को ₹200 प्रति माह जमा करना अनिवार्य होगा।

If an insured member below 65 years of age dies due to an accident, accident insurance coverage of ₹5,00,000 shall be provided along with member support contribution calculated at ₹300 per active member after deduction of 20% institutional charges.

यदि 65 वर्ष से कम आयु के बीमित सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो ₹5,00,000 का दुर्घटना बीमा तथा प्रति सक्रिय सदस्य ₹300 के अनुसार सहायता राशि (20% संस्थागत शुल्क कटौती के बाद) प्रदान की जाएगी।

If death occurs within one year from the date of registration, financial assistance of ₹31,000 shall be provided in case of natural death, and ₹31,000 along with accident insurance coverage of ₹5,00,000 shall be provided in case of accidental death.

पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹31,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹31,000 की सहायता राशि के साथ ₹5,00,000 का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।

After completion of one year, in case of natural death, assistance shall be provided at the rate of ₹300 per active member after deduction of 20% institutional charges. In case of accidental death, the same assistance shall be provided along with accident insurance coverage of ₹5,00,000.

एक वर्ष पूर्ण होने के बाद सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रति सक्रिय सदस्य ₹300 के अनुसार सहायता राशि 20% संस्थागत शुल्क कटौती के बाद प्रदान की जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर यही सहायता राशि ₹5,00,000 के दुर्घटना बीमा के साथ प्रदान की जाएगी।

Accident insurance coverage shall become effective after 24 hours of successful registration and approval of the membership.

दुर्घटना बीमा सुविधा सदस्यता स्वीकृत होने के 24 घंटे बाद प्रभावी होगी।

If an insured member is hospitalized due to an accident, financial assistance up to ₹50,000 may be provided as per policy rules and approval process.

यदि बीमित सदस्य दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होता है, तो पॉलिसी नियमों एवं स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार ₹50,000 तक की सहायता प्रदान की जा सकती है।

After completion of one year, a minimum financial assistance of ₹1,01,000 shall be provided in case of natural death, even if the number of active members is low. In case of accidental death, the same minimum assistance shall be provided along with accident insurance coverage of ₹5,00,000.

एक वर्ष पूर्ण होने के बाद सक्रिय सदस्यों की संख्या कम होने पर भी सामान्य मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम ₹1,01,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर यही न्यूनतम सहायता राशि ₹5,00,000 के दुर्घटना बीमा के साथ प्रदान की जाएगी।

Accident insurance coverage shall become effective after 24 hours of successful registration and approval of the membership.
दुर्घटना बीमा सुविधा सदस्यता स्वीकृत होने के 24 घंटे बाद प्रभावी होगी।

If an insured member is hospitalized due to an accident, financial assistance up to ₹50,000 may be provided as per policy rules and approval process.

यदि बीमित सदस्य दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होता है, तो पॉलिसी नियमों एवं स्वीकृति प्रक्रिया के अनुसार ₹50,000 तक की सहायता प्रदान की जा सकती है।

After completion of one year, a minimum financial assistance of ₹1,01,000 shall be provided in case of natural death, even if the number of active members is low. In case of accidental death, the same minimum assistance shall be provided along with accident insurance coverage of ₹5,00,000.

एक वर्ष पूर्ण होने के बाद सक्रिय सदस्यों की संख्या कम होने पर भी सामान्य मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम ₹1,01,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर यही न्यूनतम सहायता राशि ₹5,00,000 के दुर्घटना बीमा के साथ प्रदान की जाएगी।

In case of accidental death of an insured member, educational assistance of ₹10,000 shall be provided for the member's children.

बीमित सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके बच्चों की शिक्षा हेतु ₹10,000 की सहायता प्रदान की जाएगी।

In case of death of an insured member, funeral assistance of ₹5,000 shall be provided.

बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु ₹5,000 की सहायता प्रदान की जाएगी।

Every member must deposit the required contribution amount within the prescribed time whenever assistance is collected for any member's death.

किसी सदस्य की मृत्यु पर सहायता राशि संग्रहित किए जाने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर सहयोग राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

If a member fails to deposit the required contribution amount more than three times, the membership may be terminated. Upon termination, the member shall not be entitled to any future benefits and no previously deposited amount shall be refundable.

यदि कोई सदस्य तीन बार से अधिक निर्धारित सहयोग राशि समय पर जमा नहीं करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्यता समाप्त होने पर भविष्य में किसी भी लाभ का अधिकार नहीं रहेगा तथा पूर्व में जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी।

The nominee must be an immediate family member of the insured person.

नामांकित व्यक्ति (Nominee) केवल बीमित सदस्य के निकट पारिवारिक सदस्य को ही बनाया जा सकता है।

I have read, understood, and accepted all the terms and conditions of this policy.

मैंने इस पॉलिसी के सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ।

Insured Person Signature
बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर

Nominee Signature
नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर

Agent Signature
एजेंट के हस्ताक्षर